रिपोर्टेबल

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

आपराधिकअपीलीय क्षेत्राधिकार

आपराधिक अपीलीय संख्या 416/2016

(एसएलपी (आपराधिक) संख्या 2301/2016 से उत्पन्न)

भगवान सहाय और अन्य ..... अपीलार्थी (ओं)

बनाम

राजस्थान राज्य ..... प्रतिवादी (ओं)

निर्णय

शिवकीर्ति सिंह, न्यायाधीश

1. दोनों अपीलकर्ताओं ने जयपुर पीठ में राजस्थान उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय की आलोचना की है, जिसके तहत आपराधिक अपील संख्या 1235/2011 का निस्तारण आक्षेपित निर्णय और आदेश दिनांकित 14.1.2016द्वाराकिया गया था। उच्च न्यायालय ने भा.दं.सं. की धारा 307 और 307/34 के तहत अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि को निरस्त कर दिया परंतु धारा 308/34 के तहत उनको दोषी पाया। उच्च

न्यायालय ने भा.दं.सं.की धारा 308/34 के तहत दोषी पाए जाने के मद्देनजर क्रमशः धारा 326 और 326/34 भा.दं.सं.के तहत अपीलकर्ता की सजा को भी रद्द कर दिया, लेकिन भा.दं.सं.की धारा 323 और 324 के तहत दोषसिद्धि को बरकरार रखा। भा.दं.सं की धारा 308/34 के तहत अपराध के लिए अपीलकर्ताओं को दो साल के कठोर कारावास के साथ 500 रुपये के जुर्माने की सजा व्यतिक्रम अनुबंध के साथ दी गई थी। धारा 323 और 324 के तहत अपराधों के लिए निचली अदालत द्वारा दी गई कम सजा को बरकरार रखा गया।

2. अपीलार्थियों की ओर से दी गई दलीलों का मूल्यांकन करने के लिए, कि यदि उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को सच के रूप में स्वीकार कर भी लिया जाये, वे तब भी व्यक्ति की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार की प्रार्थना पर दोषमुक्ति के हकदार हैं, अभियोजन के वाद पर ध्यान देना आवश्यक है, चोटें जो अपीलकर्ता संख्या 1 और उसके माता-पिता पर कारित की गई, जिसमें उसके पिता भी शामिल हैं, जिन्हें गंभीर चोटें आई हैं जो घातक साबित हुईं, और क्या अभियोजन अभियुक्त पक्ष की चोटों के लिए कोई स्पष्टीकरण देने में समर्थ रहा है।

3. अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, दो अपीलकर्ता जो भाई हैं और उनके परिवार की महिला सदस्यों, गुड्डी देवी, सीमा और गुलाब देवी ने 4.5.2008 को सुबह 10 पूर्वाहन अपने गांव में एक गैरकानूनी सभा की,

घातक हथियारों से लैस होकर वे जगराम के बाड़े के पास गए और संजना देवी को कुंद हथियार से चोट पहुंचाई, जगराम और उसकी पत्नी मल्ली देवी को कुंद एवं धारदार हथियार से साधारण चोट दी और कुंद एवं धारदार हथियार से कैलाश चंद के साधारण एवं गंभीर चोट कारित की। अभियोजन पक्ष के अनुसार भा.दं.सं. की धारा 147, 148, 323, 324, 326 और 327 तथा सपठित धारा 149 के तहत अपराधों को आरोपी व्यक्तियों द्वारा पक्षकारों के बीच पुरानी दुश्मनी के कारण अंजाम दिया गया था।

4. अभियुक्त व्यक्तियों का बचाव यह है की उन्होने कथित तरीके से हुई घटना से इनकारकिया है। अभियुक्तों के अनुसार, अभियोजन पक्ष का मामला झूठा है। उन्होंने डॉ. सुरेश चंद मीणा और भगवान सहाय मीणा की पी.डब्ल्यू.1 और पी.डब्ल्यू. 2 के रूप में जांच की और दस्तावेजी साक्ष्य-डी1 से डी11 को भी साबित किया। बचाव पक्ष के गवाहों से इस तर्क का समर्थन करने के लिए पूछताछ की गई कि अभियोजन पक्ष के सदस्यों ने अपीलकर्ताओं के पिता कंचन को पीटा था और परिणामस्वरूप बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। इन चोटों को डॉ. सुरेश चंद मीणा ने साबित किया, जिन्होंने गुलाब देवी और अन्य लोगों की चोटों को भी साबित किया।

5. निचली अदालत ने बचाव पक्ष के मामले पर ध्यान दिया किंतु उस पर चर्चा करने में असफल रहा। बचाव पक्ष के गवाहों पर न तो टिप्पणी की गई और न ही बचाव पक्ष के प्रदर्शों और उनको लगी चोटों पर कोई टिप्पणी की गई।

6. उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय में बचाव पक्ष के गवाह 1 और 2 पर यांत्रिक रूप से (बिना सोचे समझे) ध्यान दिया है और उसके बाद कंचन और अपीलकर्ता भगवान सहाय मीणा और उनकी मां गुलाब देवी की चोटों को देखकर निम्नलिखित टिप्पणियां की हैं:-

> "परस्पर भिन्न वृतान्त से उत्पन्न होने वाले मामले में अपीलकर्ताओं पर विचारण किया गया। यह ध्यान देने योग्य है कि घटना में, दोनों अपीलार्थियों के पिता कंचन की मृत्यु हो गई थी। अपीलकर्ता भगवान सहाय, उसकी मां गुलाब देवी, बरी आरोपी व अपीलकर्ता सतीश को जल्ली देवी के साथ चोट लगी थी। परस्पर मामले के संबंध में डी. बी. आपराधिक अपीलीय संख्या 1255/2011 अलग से दायर की गई है। निचली अदालत ने यह निष्कर्ष दिया था कि दोनों पक्षों के बीच खुली लड़ाई हुई

थी,और इसलिए, अभियुक्तों को उनके व्यक्तिगत दोष के लिए दोषी ठहराया गया था।

घटना में, अपीलार्थियों के पिता कंचन लाल को निम्नलिखित चोटें आयीं थीं:-

1. खोपड़ी के बाएं पार्श्विक क्षेत्र पर हड्डी तक कटा हुआ खून बहता घाव 6 सेंटीमीटर x 1 सेंटीमीटर।

2. खोपड़ी के पश्चकपाल क्षेत्र पर पर 2 सेंटीमीटर x 1/2 सेंटीमीटर कटा हुआ घाव।

भगवान सहाय अपीलकर्ता को भी दो चोटें आईं और उनका उल्लेख निम्नलिखित चोट प्रतिवेदन में किया गया:- -

1. बाएं अंगूठे के आधार के पामर पहलू पर 3 सेमी x 1/2 सेंटीमीटर x1/2 सेंटीमीटर विदीर्ण घाव।

2. खोपड़ी के दायें पार्श्विक क्षेत्र पर 1½ सेंटीमीटर x ½ सेंटीमीटर x ½ सेंटीमीटर विदीर्ण घाव।

दोनों अपीलार्थियों की मां गुलाब देवी को भी दो चोटें आई थीं और वे इस प्रकार हैं:- -

1. माथे पर 1 सेंटीमीटर x 5 सेंटीमीटर x 5 सेंटीमीटर कटा हुआ खून बहता घाव।

2. दाहिने कंधे के ऊपर 10 सेमी x 2 सेमी खरोंच (लालिमायुक्त)."

7. उच्च न्यायालय ने यह भी नोट किया है कि दोनों पक्षों ने यह दलील दी थी कि जिस भूमि पर यह घटना हुई है वह उनके कब्जे में है। घायलों में एक मल्ली देवी-पीडब्ल्यू 6 ने भी गवाही दी है, जैसा की उच्च न्यायालय द्वारा उल्लेख किया गया है कि पक्षकारों का भूमि पर अभियुक्तों के साथ विवाद था। उच्च न्यायालय ने लक्ष्मी सिंह और अन्य बनाम बिहार राज्य (1976 (4) SCC 394) में, इस न्यायालय के निर्णय पर भी ध्यान दिया, जिस पर अभियुक्तों के वकील द्वारा भी आत्मरक्षा के समर्थन में, और अभियुक्त पक्ष की तरफ हुई मृत्यु और चोटों का कोई स्पष्टीकरण नहीं होने के आधार पर दोषमुक्ति के लिए भरोसा किया गया था। उच्च न्यायालय ने पूर्वोक्त निर्णय से सही निष्कर्ष निकाले, लेकिन अपीलकर्ताओं को इस गलत धारणा के आधार पर यह मानते हुए दोषी ठहराया कि दोनों पक्षों ने घटना के उद्भव और उत्पत्ति को छुपाए रखा था और चूंकि यह निर्धारित नहीं किया जा सकता कि कौन सा पक्ष आक्रमणकारी था, इसलिए मामले को पक्षकारों

के बीच एक खुली लड़ाई का मामला मानते हुए अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ फैसला किया गया।

8. उच्च न्यायालय का पूर्वोक्त दृष्टिकोण विधिक गुणों से रहित है। एक बार जब न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंच गया कि अभियोजन पक्ष ने घटना के उद्भव और उत्पत्ति को दबा दिया है और अपीलार्थियों के पिता की मृत्यु सहित आरोपी व्यक्तियों पर चोटों का स्पष्टीकरण देनें में भी विफल रहा है, तो अपीलार्थियों को संदेह का लाभ प्रदान करना ही एकमात्र सम्भाव्य और संभावित मार्ग बचा था।अपीलकर्ता वैध रूप से बल प्रयोग करने का दावा कर सकते हैं जब उन्होंने अपने माता-पिता पर हमला होते हुए देखा,और जब वास्तव में यह दिखाया गया है कि इस तरह के हमले और चोट के कारण उनके पिता की बाद में मृत्यु हो गई। दिए गए तथ्यों में, विश्वसनीय स्पष्टीकरण तो दूर कोई भी स्पष्टीकरण न देने के लिए अभियोजन पक्ष के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए। इस तरह के प्रतिकूल निष्कर्ष को खुली लड़ाई के मामले में छोड़ दिया जाता है क्योंकि उस मामले में घटना अलग-अलग स्थानों पर और इस तरह से हो सकती है कि किसी गवाह द्वारा बचाव पक्ष को हुई चोटों को उचित रूप से देखने और उसकी व्याख्या की उम्मीद नहीं की जा सकती। वर्तमान मामले में यह तथ्यात्मक स्थिति नहीं है।

9. इसलिए, हमें अपील को स्वीकार करने और सभी आरोपों से अपीलकर्ताओं को बरी करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। हम तदनुसार आदेश देते हैं। यदि किसी अन्य मामले में उनकी आवश्यकता नहीं है तो उन्हें जेल की हिरासत से तुरंत रिहा किया जाएगा। अपील स्वीकार की जाती है

न्यायाधीश [दीपक मिश्रा]

न्यायाधीश [शिवकीर्ति सिंह]

नई दिल्ली

03 जून, 2016

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**'के जरिए अनुवादक की सहायता से किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय वादी के प्रतिबंधित उपयोग के लिए उसकी भाषा में समझाने के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।